

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2484]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 25, 2013/कार्तिक 3, 1935

No. 2484]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2013/KARTIKA 3, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2013

(आयकर)

का.आ. 3249(अ). आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा :-

(क) निदेश देता है कि यहां अनुबंधित अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त जिनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में की गई संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्थान पर है, उक्त अधिनियम के अध्याय-ख एवं -खख के अन्तर्गत आने वाली शक्तियों सहित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में की गई संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसे मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों अथवा ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों तथा उनकी ऐसी सभी आय अथवा आय की श्रेणियों के संबंध में कार्य का निष्पादन करेंगे;

(ख) इस अनुसूची में संदर्भित आयकर आयुक्त को उनके अधीनस्थ आने वाले अपर आयकर आयुक्तों अथवा संयुक्त आयकर आयुक्तों को उक्त अधिनियम के अध्याय-ख एवं -खख के अन्तर्गत आने वाली शक्तियों सहित उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में की गई संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों अथवा ऐसी आय अथवा आय की श्रेणियों अथवा ऐसे मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने एवं कार्य का निष्पादन करने हेतु लिखित आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करता है;

(ग) इस अनुसूची के खंड (ख) में सदर्भित अपर आयकर आयुक्तों अथवा संयुक्त आयकर आयुक्तों को उनके अधीनस्थ आने वाले कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-ख एवं -खख के अन्तर्गत आने वाली शक्तियों सहित उक्त अनुसूची जिसके संबंध में ऐसे अपर आयकर आयुक्तों अथवा संयुक्त आयकर आयुक्तों को इस अधिसूचना के खंड (ख) के अन्तर्गत आयकर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, के कालम (4) में की गई संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों अथवा आय अथवा आय की श्रेणियों अथवा मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने एवं कार्य का निष्पादन करने हेतु लिखित आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आयकर आयुक्त (बड़ी करदाता इकाई), कोलकाता	कोलकाता	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 127 के अन्तर्गत सौंपे गए सभी मामले तथा जो वर्तमान समय में मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-I,II,III एवं कोलकाता एवं आयकर आयुक्त (केन्द्र) -I,II एवं III, कोलकाता तथा आयकर निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय काराधान), कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में हैं जिनमें बड़ी करदाता इकाई योजना का चयन करने हेतु सहमति प्रपत्र दिया गया हो तथा जिनमें वित्त वर्ष 2011-12 अथवा बाद के किसी वित्त वर्ष में निम्नलिखित भुगतान किए गए हों; (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत 10 करोड़ रूपए अथवा उससे अधिक का अग्रिम कर; अथवा (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत 5 करोड़ रूपए अथवा इससे अधिक की नकदी अथवा वर्तमान खाते में उत्पाद शुल्क; अथवा (ग) सेवा कर नियमावली, 1994 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत 5 करोड़ रूपए अथवा उससे अधिक की नकदी अथवा वर्तमान खाते में सेवा कर।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू की जाएगी।

[अधिसूचना सं. 85/2013/फा.सं. 187/16/2013-आयकर नि.]

सुरभि शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
 New Delhi, the 25th October, 2013
(INCOME TAX)

S.O.3249 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby :—

(a) directs that the Commissioner of Income-tax specified in column (2) of the Schedule here to annexed, having his Headquarter at the place specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, shall

exercise the powers conferred upon him under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including the powers under Chapters XVII-B and XVII-BB of the said Act, and perform the functions in respect of such cases or classes of cases or such persons or classes of persons specified in the corresponding entry in column (4) of the said Schedule and in respect of all incomes or classes of incomes thereof;

(b) authorises the Commissioner of Income-tax referred to in this notification to issue orders in writing for the exercise of the powers and performance of the functions, including powers under Chapters XVII-B and XVII-BB of the said Act, by the Additional Commissioners or Joint Commissioners of Income-tax, who are subordinate to him, in respect of such persons or classes of persons or of such income or classes of income or of such cases or classes of cases specified in the corresponding entry in column (4) of the said Schedule;

(c) further authorises the Additional Commissioners or Joint Commissioners of Income-tax, referred to in clause (b) of this notification, to issue orders in writing for the exercise of the powers and performance of the functions, including powers under Chapters XVII-B and XVII-BB of the said Act, by the Assessing Officers, who are subordinate to them, in respect of such persons or classes of persons or income or classes of income, or cases or classes of cases specified in the corresponding entry in column (4) of the said Schedule, in respect of which such Additional Commissioners or Joint Commissioners of Income-tax are authorised by the Commissioner of Income-tax under clause (b) of this notification.

SCHEDULE

S.No.	Designation of Income-tax Authority	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Commissioner of Income-tax (Large Taxpayer Unit) Kolkata	Kolkata	All cases assigned under section 127 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and which are presently under the jurisdiction of Chief Commissioners of Income-tax, Kolkata –I, II, III and IV, Kolkata and the Commissioners of Income-tax (Central)-I, II and III, Kolkata and Director of Income-tax (International Taxation), Kolkata, in which Consent Form for opting for the large Taxpayer Unit scheme has been given and in which following payments have been made in financial year 2011-12 or any subsequent financial year : (a) advance tax of rupees Ten crores or more under the Income-tax Act, 1961; or (b) duties of excise in cash or current account of rupees five crore or more under the Central Excise Act, 1944; or (c) service tax in cash or current account of rupees five crore or more under the Finance Act, 1994 read with the service- tax Rules, 1994.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 85/2013/ F.No.187/16/2013/ITA.I]
SURABHI SHARMA, Under Secy.